फाइल सं0 एनएस-एमआईएससीओओटीएचआर/61/2024-एनपीसीएस(आरएनआई)
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
http://www.prgi.gov.in

दिनांक: 08.05.2026

2026 की परामर्शिका सं० 08

विषय: वार्षिक विवरण फाइल करने के संबंध में प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण पंजीकरण को रद्द करने के संबध में प्रकाशकों के लिए परामर्शिका।

इसे इस कार्यालय की **दिनांक 09.09.2005 को जारी 2025 की परामर्शिका सं0 33** के क्रम में जारी किया जाता है, यह उन प्रकाशकों के संबंध में है जिनकी नियतकालिक पत्रिकाओं को "निष्क्रिय श्रेणी" के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया गया था और जिनके 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधी का पंजीकरण वार्षिक विवरणों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निलंबित कर दिए गए थे। जैसा कि सूचित किया गया था, **प्रकाशन निरंतरता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर, 2025** थी।

2. तदनुसार, इस कार्यालय ने उन नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण को रद्द कर दिया जिनके लिए अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किए गए। रद्द की गई नियतकालिक पत्रिकाओं की विस्तृत जानकारी इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट **(http://prgi.gov.in/our-services/cancelled-data-for-website)** पर उपलब्ध है।

3. ऐसे प्रकाशक **जिन्होंने 31 जनवरी, 2026 को या उससे पहले** अपेक्षित दस्तावेजों सहित निर्धारित शास्ति जमा करा दी थी लेकिन उनकी पत्रिकाओं के नाम रद्द की गई पत्रिकाओं की सूची में दर्शाए गए थे, वे सहायक दस्तावेजों सहित प्रकाशन निरंतरता प्रमाण पत्र ईमेल **helpdesk.rni@gov.in** के माध्यम से आवश्यक समीक्षा हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।

4. रद्द किए सभी शेष शीर्षक नए पंजीकरण के लिए उपलब्ध हैं। रद्द किए गए ऐसे शीर्षकों को पुन: बहाल करने संबंधी किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे शीर्षक चाहने वाले आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे "प्रेस सेवा पोर्टल" के माध्यम से शीर्षक पंजीकरण हेतु नया आवेदन करें ।

5. इसे प्रेस महापंजीयक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(हितेश रावत)
सहायक प्रेस महापंजीयक